

पिछले निर्वाचन में कम मतदान वाले केंद्रों में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने चलेगा विशेष अभियान : कलेक्टर

चला रईगढ़िया, वोट देवईया' थीम के साथ जिले में वोटर्स को मतदान के लिए करेंगे जागरूक

मतदाता सूची के आरंभिक प्रकाशन का सभी गांवों में कटवाएं वाचन-कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा

मतदान केंद्रों में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने कलेक्टर सिन्हा ने दिए निर्देश

विधानसभा निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा करने कलेक्टर सिन्हा ने ली बैठक



रायगढ़। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने कलेक्टर सभाकक्ष में आगामी विधानसभा निर्वाचन की तैयारियों के संबंध में सभी रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर सहित विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने 02 अगस्त को मतदाता सूची के आरंभिक प्रकाशन के साथ ही मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए। इसके साथ ही मतदाता जागरूकता और वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए 'चला रईगढ़िया, वोट देवईया' थीम के साथ विशेष कार्ययोजना बनाते

हुए स्वीप कार्यक्रम संचालित करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर सिन्हा ने कहा कि मतदाता सूची के आरंभिक प्रकाशन के पश्चात उसका वाचन सभी गांवों में विशेष ग्राम सभा के माध्यम से करना है। उन्होंने निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार दावा आपत्तियों का निराकरण 31 अगस्त तक करने के निर्देश दिए। कलेक्टर सिन्हा ने कहा कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की कार्यवाही आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार की जानी है। कलेक्टर सिन्हा ने धरमजयगढ़ और लैलूंगा के दूर-दराज के इलाकों में पात्र मतदाताओं के साथ विशेष पिछड़ी जनजाति के मतदाताओं का नाम अभियान चला कर सूची में जोड़ने के निर्देश दिए।

कलेक्टर सिन्हा ने मतदाता परिचय पत्र के प्रिंटिंग और वितरण का कार्य पूरी सावधानी से करने के निर्देश दिए। उन्होंने सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर चर्चा करते हुए कहा कि रायगढ़ एक सीमावर्ती जिला है। अतः यहां के बॉर्डर वाले इलाकों में विशेष निगरानी की आवश्यकता है। इसके लिए जरूरी व्यवस्थाएं बनाने के निर्देश पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारियों को दिए। ताकि अवैध गतिविधियों पर कार्यवाही की जा सके। इसके अलावा, उन्होंने निर्वाचन में मतदान दल के गठन, मतदान सामग्री वितरण, मतदान कर्मियों के यातायात व्यवस्था, ट्रेनिंग तथा निगरानी और उडनदस्ता दलों का गठन, निर्वाचन पत्र व सामग्री, चिकित्सा दल, शिकायत निवारण जैसे कार्यों के संबंध में भी चर्चा की और संबंधित अफसरों को तैयारियों के संबंध में दिशा-निर्देश दिए।

संतन देवी जांघड़े, अपर कलेक्टर राजीव पांडेय, सहायक कलेक्टर युवराज मरमत, नगर निगम आयुक्त सुनील चंद्रवंशी, ज्वाइंट कलेक्टर धनीराम रात्रे, डिप्टी कलेक्टर रेखा चंद्रा, डिप्टी कलेक्टर ऋतु एमडीएम, तहसीलदार व सभी विभागों के जिलाधिकारी उपस्थित थे।

गतिविधि के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम संचालित कर सभी वर्ग के मतदाताओं में मतदान को लेकर जागरूकता बढ़ाने की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूरे जिले में चलने वाले स्वीप कार्यक्रम के साथ ही ऐसे मतदान केंद्र जहां पिछली बार वोटिंग परसेंटेज कम रहा, उसके कारणों की समीक्षा कर वहां वोटिंग बढ़ाने के लिए स्वीप के अंतर्गत विशेष कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए।

महत्वपूर्ण एवं खास

कलमी रेल्वे ट्रैक के पास मिली अज्ञात व्यक्ति की लाश, जांच में जुटी कोतारोड़ पुलिस

रायगढ़। दिनांक 29 जुलाई को कोतारोड़ थाना अंतर्गत ग्राम कलमी के कोया नगर के रेल्वे ट्रैक के पास खम्बा नंबर 588/23 एवं 588/21 के बीच ट्रैक से कुछ दूर एक अज्ञात पुरुष का शव उम्र लगभग 35 वर्ष के आसपास की सूचना ग्राम कलमी के कोतारोड़ के द्वारा के गई, जिस पर कोतारोड़ पुलिस द्वारा मौके पर जाकर शव की जांच की गई। शव की बारीकी से जांच करने पर किसी प्रकार के चोट के निशान नहीं मिले। आसपास पुछताछ करने पर लाश की शिनाख्त भी नहीं हो सकी है। कोतारोड़ पुलिस द्वारा घटना में मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। पोस्टमार्टम के बाद उक्त अज्ञात व्यक्ति के मौत के कारण का पता चल पाएगा। मृतक के परिवारियों की पतासाजी के लिए कोतारोड़ पुलिस ने आसपास के गांव में मुनादी कराकर मृतक के फोटो विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया गया है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांकेर में संविदा भर्ती हेतु 5 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित

सारंगढ़ बिलाइंगढ़। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांकेर में कार्यालय सहायक, रिसेप्शनिस्ट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर और कार्यालय भूय (मुंशी-अटेंडेंट) की संविदा भर्ती हेतु आवेदन 5 अगस्त 2023 की शाम 5 बजे तक कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांकेर में रखे ड्राफ्ट बॉक्स में जमा करना होगा। डाकघर या अन्य माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। विज्ञापन की विस्तृत जानकारी के लिए जिला न्यायालय के वेबसाइट डिस्क्रिप्स डॉट ईकोर्ट्स डॉट जीओवी डॉट इन/कांकेर से अवलोकन किया जा सकता है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोंडागांव में संविदा भर्ती हेतु 10 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित

सारंगढ़ बिलाइंगढ़। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोंडागांव में कार्यालय सहायक, रिसेप्शनिस्ट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर और कार्यालय भूय (मुंशी-अटेंडेंट) की संविदा भर्ती हेतु आवेदन 10 अगस्त 2023 की शाम 5 बजे तक कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोंडागांव पिन 494226 के पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट से भेजकर या व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में उपस्थित होकर आवेदन जमा कर सकते हैं। विज्ञापन की विस्तृत जानकारी के लिए जिला न्यायालय के वेबसाइट डिस्क्रिप्स डॉट ईकोर्ट्स डॉट जीओवी डॉट इन/कोंडागांव से अवलोकन किया जा सकता है।

कुटुंब न्यायालय कोंडागांव की भर्ती हेतु 7 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित

सारंगढ़ बिलाइंगढ़। कुटुंब न्यायालय कोंडागांव में सहायक ग्रेड 3, आदेशिका वाहक, भूय और आकस्मिकता निधि के कर्मचारी (माली, स्वीपर, चौकीदार, वाटरमेन) की भर्ती हेतु कार्यालय न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय कोंडागांव जिला कोंडागांव पिन 494226 के पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कोरियर से अंतिम तिथि 7 अगस्त 2023 की शाम 5 बजे तक आवेदन आमंत्रित है। विज्ञापन की विस्तृत जानकारी के लिए जिला न्यायालय के वेबसाइट डिस्क्रिप्स डॉट ईकोर्ट्स डॉट जीओवी डॉट इन/कोंडागांव से अवलोकन किया जा सकता है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

राजीव युवा मितान क्लब के मास्टर ट्रेनरों को सड़क सुरक्षा मित्र का दिया गया प्रशिक्षण

रायगढ़। प्रतिमाह आयोजित होने वाली सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कलेक्टर एवं सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष तारन प्रकाश सिन्हा द्वारा पिछले बैठक में राजीव मितान क्लब के सदस्यों को सड़क सुरक्षा मित्र के रूप में प्रशिक्षित करने निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के पालन में कलेक्टर के सज्जद सभाकक्ष में ब्लॉक स्तरीय मास्टर ट्रेनर के लिये एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित किया गया। कार्यशाला में युवा मितान क्लब के मास्टर ट्रेनर को आदर्श सड़क सुरक्षा मित्र के संबंध में जानकारी देकर सड़क हादसों की रोकथाम एवं जागरूकता कार्यक्रमों में उनकी भूमिका बताया गया। कार्यशाला में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने एवं दुर्घटनाओं की रोकथाम में गुड सेमिनेटर्स के



महत्ता को बताया गया तथा दुर्घटना घटित होने के उपरांत घायलों को किस प्रकार तत्कालिक राहत दें। इस संबंध में कार्यशाला में मौजूद डॉक्टर पी.के. गुप्ता और पी.एल.पटेल द्वारा प्रशिक्षित किया गया। कार्यशाला में जिला परिवहन अधिकारी दुष्यंत रायसत रायगढ़, उप पुलिस अधीक्षक रायगढ़ सुशांतो बनर्जी, परिवहन उप निरीक्षक देवाशीष प्रधान तथा विकास खंड तमनार, लैलूंगा, रायगढ़, धरमजयगढ़, घरघोड़ा, पुसौर और खरसिया के राजीव युवा मितान क्लब मास्टर ट्रेनर उपस्थित थे।

चोरी की 62 किलो छड़ के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार

कोतवाली पुलिस ने भेजा रिमांड पर

रायगढ़। कोतवाली पुलिस ने दीनदयाल कॉलोनी के वार्ड कार्यालय से लोहे की छड़ चुराने वाले 3 आरोपियों को आज मुखबिर सूचना पर गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। सरिया (छड़) चोरी को लेकर प्रायवेट कंस्ट्रक्शन का कार्य करने वाले निवेश ठेठवार निवासी लालटंकी चौक द्वारा 27 जुलाई को थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराया कि नगर निगम से वार्ड क्रमांक 6 में नाली कार्य के लिये शीय कंस्ट्रक्शन को कार्य मिला है वार्ड में RCC नाली का कार्य चल रहा है, जिसका छड़, सिमेंट आदि समान को वार्ड कार्यालय के अंदर ताला बंद करके रखा गया था जिसके छड़ बंडल 26-27 जुलाई की रात्रि कोई अज्ञात चोर के द्वारा चोरी करके ले गया था।



मामले में कोतवाली पुलिस अज्ञात आरोपी पर नकबजनी का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया। मुखबिर पतासाजी दौरान थाना प्रभारी कोतवाली को मुखबिर से सूचना मिला कि तीन लड़के-आकाश चौहान, शुभम यादव और मनीष जाटवर मिलकर वार्ड कार्यालय में रखे सरिया की चोरी

62 किलो सरिया कीमत करीब रु.5000 जन्ती कर आरोपी - (1) आकाश चौहान पिता हेमसागर चौहान उम्र 25 साल निवासी आशीवांद कॉलोनी वार्ड नंबर 6 डिमरापुर चौक थाना कोतवाली रायगढ़ (2) शुभम यादव पिता विशंकर यादव 22 साल निवासी रामभांडा चर्च के आगे थाना कोतवाली (3) मनीष जाटवर और पिता सरजून जाटवर उम्र 21 साल रामभांडा जयस्तंभ चौक थाना कोतवाली को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। माल मुल्जिम आरोपियों की पतासाजी गिरफ्तारी में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शनिप रात्रे, सहायक उप निरीक्षक इंगेश्वर यादव, आरक्षक जगमोहन लाल ओग्रे, संदीप मिश्रा, उत्तम सारथी की अहम भूमिका रही है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव चौबे पहुंचे रायगढ़ प्रवास पर

गोपालपुर में निर्मित अमृत सरोवर और तालाब गहरीकरण कार्य को देखा

जनपद पंचायत रायगढ़ में चल रहे विभिन्न कार्यों का किया निरीक्षण

जल संरक्षण के महत्व को समझाते हुए अमृत सरोवर के रख-रखाव के लिए निर्देश



ग्राम पंचायत गोपालपुर में निर्मित अमृत सरोवर रायगढ़ और तालाब गहरीकरण, ग्राम पंचायत एकताल पुसौर में चल रहे कार्यों को देखा और साराहना की। इस दौरान उन्होंने जल संरक्षण के महत्व को समझाते हुए अमृत सरोवर की रख-रखाव के विशेष निर्देश दिए। तत्पश्चात संयुक्त सचिव चौबे ने ग्राम पंचायत जुड़ा में पर्यावरण संरक्षण पर आधारित मियाँवाकी पद्धति से किए जा रहे वृक्षारोपण कार्य को देखा। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से किए जा रहे इस अनूठे कदम की प्रशंसा की और रोपित पौधों की सुरक्षा के निर्देश दिए। ज्ञात हो कि



भारत सरकार द्वारा देश के 10 राज्यों से 10 जिलों को मिशन उत्कर्ष अंतर्गत चयनित किया गया है। जिसमें प्रदेश का एकमात्र जिला रायगढ़ भी शामिल है। मिशन उत्कर्ष अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण तथा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के केपीआई को शामिल किया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव अशोक चौबे का रायगढ़ प्रवास का उद्देश्य था कि रायगढ़ जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में

कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों में हो रहा मतदाता शपथ

सारंगढ़ बिलाइंगढ़। कलेक्टर डॉ फरिहा आलम सिद्दीकी के निर्देशन में जिले में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है। कलेक्टर डॉ फरिहा आलम सिद्दीकी ने सारबिला अकादमी बरमकेला में और अपर कलेक्टर निष्ठा पाण्डेय तिवारी ने भटागांव के सारबिला अकादमी में प्राचार्यों, संकुल समन्वयकों, स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ मतदाता शपथ ली। इसी कड़ी में एसडीएम मोनिका वर्मा ने सारंगढ़ और बरमकेला विकासखंड के सभी तहसीलदारों के साथ शपथ ली। रीपा केंद्र में कार्य कर रहे स्व सहायता



समूह की महिलाओं ने कार्य स्थल में शपथ ली। सभी ने शपथ लिया कि "हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए, निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

ग्राम अरसीपाली में जन चौपाल लगाकर कोतारोड़ पुलिस ने ग्रामीणों को किया जागरूक

प्रशिक्षु आईपीएस उदित पुष्कर ने गांव में अवैध शराब बिक्री, जुआ-सट्टा की सूचना देने ग्रामीणों को किए प्रेरित



रायगढ़। जिले के ग्राम अरसीपाली में प्रशिक्षु आईपीएस उदित पुष्कर ने गांव में अज्ञात शराब बिक्री, जुआ-सट्टा की सूचना देने ग्रामीणों को किए प्रेरित। ग्राम अरसीपाली में प्रशिक्षु आईपीएस उदित पुष्कर ने गांव में अज्ञात शराब बिक्री, जुआ-सट्टा की सूचना देने ग्रामीणों को किए प्रेरित। ग्राम अरसीपाली में प्रशिक्षु आईपीएस उदित पुष्कर ने गांव में अज्ञात शराब बिक्री, जुआ-सट्टा की सूचना देने ग्रामीणों को किए प्रेरित।

जन चौपाल में थाना कोतारोड़ के उप निरीक्षक नंद लाल पैकरा द्वारा ग्रामीणों को महिला एवं बच्चों से संबंधी अपराधों की जानकारी दिया गया तथा ऐसे अपराधों में पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करने एवं पीडित को प्राप्त होने वाली राहत राशि, विधिक सहायता के संबंध में जानकारी दिया गया। उन्होंने ग्रामीणों को पुलिस सहायता के लिये पुलिस अधिकारियों के नंबर एवं डायल-112 के बारे में बताया गया। चौपाल में गांव के पंच, सरपंच, जनप्रतिनिधियों के साथ प्रशिक्षु आईपीएस एवं थाना प्रभारी कोतारोड़ उदित पुष्कर, एसआई नंद लाल पैकरा, हेड कांस्टेबल करुणेश राय, कांस्टेबल संजीव पटेल और मनोज काले ओपस्थित थे।

बीएलओ एवं अविहित अधिकारियों का प्रशिक्षण संपन्न

रायगढ़। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तारन प्रकाश सिन्हा के निर्देशन पर विधानसभा क्षेत्र खरसिया के बूथ लेवल ऑफिसर एवं अविहित अधिकारियों की प्रशिक्षण 29 जुलाई को लखीराम ऑडिटोरियम खरसिया में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरसिया के मार्गदर्शन में संपन्न हुई। फोटोयुक्त निर्वाचन नामावली हेतु विशेष संक्षिप्त मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य 2 अगस्त 2023 से प्रारंभ हो रही है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने, मृत एवं स्थानांतरित मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से विलोपित करने एवं मतदाता सूची में मतदाता के नाम, सरनेम, निवास के पता संशोधन हेतु आज

विशेष प्रशिक्षण दिया गया। 2 अगस्त 2023 को आयोजित होने वाले ग्राम सभा में बीएलओ एवं अविहित अधिकारियों के माध्यम से मतदाता सूची का वाचन सार्वजनिक रूप से किया जाना है। जिसमें नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़े जाने हेतु एवं ऐसे मतदाता जिनकी मृत्यु हो चुकी है, मतदाता को अन्यत्र स्थानांतरित हो चुके हैं उनका नाम मतदाता सूची से विलोपित किए जाने हेतु प्रशिक्षण में निर्देश दिए गए।

80 वर्ष या 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता एवं शारीरिक रूप से दिव्यांग मतदाताओं को पोस्टल बालेट के माध्यम से मतदान की सुविधा दिए जाने, दिव्यांग मतदाताओं, 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के मतदाता को विशेष रूप से चिन्हंकित कर मतदाता सूची में उक्त जानकारी अनिवार्यतः दर्ज करने संबंधी निर्देश पर चर्चा कर प्रशिक्षण में सभी बीएलओ एवं अविहित अधिकारियों को अवगत कराया गया। आज के प्रशिक्षण में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खरसिया रोहित सिंह के द्वारा मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम में विशेष सदस्यता रखकर कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि किसी भी मतदाता का नाम मतदाता सूची में न छोड़े विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम में नए मतदाताओं का नाम जोड़े जाने एवं मृत,स्थानांतरित मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से विलोपित किए जाने संबंधी भारतीय निर्वाचन आयोग मतदान केंद्रों में विशेष रूप से स्वीप

अधिकारियों के द्वारा सभी बूथ लेवल ऑफिसर एवं अविहित अधिकारियों को विस्तार से समझाया गया। बूथ लेवल ऑफिसर एवं अविहित अधिकारियों के द्वारा मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य के दौरान किए जाने वाले प्रक्रिया में जो शंकाये थी उस पर प्रश्न रखे गए, अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से सभी बूथ लेवल ऑफिसर एवं अविहित अधिकारियों को जवाब से संतुष्ट किया गया। विधानसभा खरसिया के स्वीप नोडल अधिकारी प्रदीप साहू के द्वारा उन मतदान केंद्रों पर विशेष रूप से फोकस करने की बात कही गई जिन मतदान केंद्रों में मतदान का प्रतिशत कम है, साथ ही पुरुष और महिला मतदाता के मतदान प्रतिशत में अंतर वाले मतदान केंद्रों में विशेष रूप से स्वीप

कार्यक्रम आयोजित कर शत-प्रतिशत मतदान कराने की बात कही गई। आज का यह प्रशिक्षण दो चरणों में संपन्न हुआ जिसमें प्रथम चरण के प्रतिभागी प्रातः 11 से 1.00 तक उपस्थित हुए एवं द्वितीय चरण के प्रतिभागी की दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त किए। आज के विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम प्रशिक्षण को मास्टर ट्रेनर्स एलायन्स पटेल, आनंद द्विवेदी के द्वारा संपन्न कराया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरसिया रोहित सिंह, डिप्टी कलेक्टर समीर बड़ा, तहसीलदार-खरसिया शिवकुमार डनसेना, कानूनी आचार्यमण बघेल एवं प्रदीप साहू, विकासखंड स्त्रोत समन्वयक उपस्थित रहे।